

6/12/22

पशावली पेन्सी में ली गई। तहसील पर्यांक पर/ 3332 दिनांक 21/8/22 द्वारा अकाल कपाया गया है कि वादी की दिनांक 18/4/2020 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्युपत्र लेके अंतर्गत व्यति होने के बावजूद उभयपक्षों द्वारा का. मु. आदि कार्यवाही नहीं की गई। कपया दशक के अधिक अवधि के लंबित एवं वादी के विधिक वारिसाज के कार्य करते के बाद कपरी हेतु एकाग्र एका पाका वादपत्र अदालतपरी अदर फौजो में लारिज का पशावली कार्यवाही 6/12/22 की जाती है।

हैं  
 सहायक कलेक्टर  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 हुमानगर

